

गैर पीडीएस (सफेद) एसकेओ की बिक्री के लिए सामान्य दिशानिर्देश

(घरेलू स्टॉक हेतु)


आवश्यक सामग्री कानून 1955 (10, 1955) के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत सरकार ने सामान्य जनता के लिए गैर पीडीएस (सफेद) एसकेओ की उपलब्धता को बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए दिनांक 19.01.2015 जी.एस.आर. 41(ई) के राजपत्र अधिसूचना 41 ई द्वारा केरोसिन (उपयोग पर प्रतिबंध तथा सिलिंग मूल्य का निर्धारण) आदेश 1993 में संशोधन किया है। केरोसिन (उपयोग पर प्रतिबंध तथा सिलिंग मूल्य में का निर्धारण) आदेश 2015 में किए गए परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप गैर पीडीएस (सफेद) एसकेओ के बिक्री के लिए संशोधित दिशानिर्देश एतद्वारा निम्नरूप से सूचीबद्ध किए गए हैं। अभिरूची रखने वाले समांतर विपणनकर्ता तथा औद्योगिक ग्राहकों को निदेश दिया जाता है कि वे उपर्युक्त कानून / आदेशों तथा उनमें किए गए सभी संशोधनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन करें ताकि उनका कड़ाई से अनुपालन किया जा सके।

समांतर विपणनकर्ता / औद्योगिक ग्राहक :

- 1) एसकेओ का उपयोग गर्म करने, सफाई करने, प्रकाश करने, भोजन पकाने, सुखाने, थीनर इत्यादि जैसे अनेक औद्योगिक कार्यों में किया जाता है। तथापि मोटर वाहनों में ईंधन या ईंधन के सहायक के रूप में एसकेओ का उपयोग निषिद्ध है।
- 2) औद्योगिक ग्राहक/ समांतर विपणनकर्ता द्वारा संबंधित आयल कंपनी के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/ आरटीजीएस के रूप में अग्रिम भुगतान जमा करके टैंकर भरने के लिए आवेदन किया जाएगा।
- 3) मूल गैस - एमआई (मुख्य स्थापना) के आधार पर ही आपूर्ति की जाएगी तथा औद्योगिक ग्राहक/ समांतर विपणनकर्ता द्वारा संबंधित कानूनों का अनुपालन करते हुए कार्गो के सुरक्षित परिवहन के लिए अच्छी स्थिति में टैंक ट्रक की व्यवस्था करनी होगी।
- 4) गैर-पीडीएस एसकेओ ग्राहकों के लिए लागू दरों पर आपूर्तियां की जाएंगी तथा आपूर्ति की तिथि को लागू सांविधिक उपकर एवं नियम लागू होंगे। इनवायस केवल औद्योगिक ग्राहक/समांतर विपणनकर्ता के ही नाम से तैयार किए जाएंगे।
- 5) समांतर विपणनकर्ताओं द्वारा नीचे दिए गए **परिशिष्ट-I** के अनुसार केवायसी फार्म तथा **परिशिष्ट II** के अनुसार इंडेन्मिटी बाँड एक बार के आधार पर जमा किया जाएगा। इसी तरह से औद्योगिक ग्राहकों द्वारा **परिशिष्ट-III** के अनुसार केवायसी फार्म तथा **परिशिष्ट IV** के अनुसार इंडेन्मिटी बाँड एक बार प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- 6) आयल कंपनी समय-समय पर यथोचित रूप से इन दिशानिर्देशों में संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती हैं।

गैर-पीडीएस (सफेद) की खरीद के लिए केवायसी फार्म - समांतर विपणकर्ता

स्वयं सत्यापित फोटो लगाएं (पासपोर्ट आकार)



1. आवेदक की स्थिति : व्यक्तिगत / व्यक्तियों का एसोशिएशन/फर्म/कंपनी/संस्थान/आर्गनाइजेशन (निशान लगाए)
2. व्यक्तिगत/व्यक्तियों के एसोशिएशन के मामले में :
 - व्यक्ति/व्यक्तियों/एसोशिएशन का नाम
 - बी. पता (पते)
 - सी. फोन नंबर, ई-मेल आयडी
 - डी. पैन नंबर (सी)
 - सरकारी एजेंसी द्वारा दिए गए पहचान प्रमाण
 - एफ. पता (पते) का प्रमाण
3. फर्म का गठन :
4. पंजीकृत कार्यालय :
5. वर्तमान व्यवसाय का लोकेशन एवं पता :
6. प्रमोटर्स /निदेशकों/ भागीदारों/सोल प्रोप्राइटर का नाम एवं पता :
7. कंपनी तथा/अथवा कंपनी समूह, यदि कोई हो, द्वारा वर्तमान कर्मचारियों (गैर-पीडीएस एसकेओ के समांतर विपणन) का विवरण .
8. गैर-पीडीएस एसकेओ के भंडारण एवं निष्पादन तथा स्वीकृति/तदुपरांत लाइसेंस तथा पेट्रोलियम एवं प्रा कृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रस्तुत सूचना का विवरण ।
9. बिक्री कर (वैट/सीएसटी)/केंद्रीय उत्पाद शुल्क का पंजीकरण का विवरण :
10. प्रतिमाह आवश्यक अनुमानित मात्रा (किलो) :

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि उपर दिए गए विवरण मेरे/हमारे सर्वश्रेष्ठ जानकारी एवं विश्वास के अनुरूप सत्य है ।

दिनांक :

स्थान:

 (हस्ताक्षर एवं मुहर / सील)

(* कृपया, मद 2 (डी/ई/एफ)/3/4/5/6/7/8/9, के संबंध में यथा लागू स्वयं सत्यापित प्रतियां संलग्न करें।)

क्षतिपूरक बॉण्ड

(नोटरी पब्लिक द्वारा नोटरी किए हुए रु. 100/- के गैर न्यायिक स्टैप पेपर पर प्रस्तुत किया जाए।)

मैं/हम अपने निजी उपयोग के लिए गैर- पीडीएस एसकेओ को जारी करने के लिए _____, _____
आईओसीएल/एचपीसीएल/बीपीसीएल से संपर्क किया है।

मैं/हम पुष्टि करते हैं कि :

1. दिनांक _____ के केवायसी फार्म में आईओसीएल/एचपीसीएल/बीपीसीएल को दिया गया विवरण सत्य एवं सही है।
2. मैं/हम आईओसीएल/एचपीसीएल/बीपीसीएल से गैर-पीडीएस एसकेओ की खरीदी/इसके समांतर विपणन के लिए नहीं खरीदेंगे।
3. मैं/हम एसकेओ आदेश, 1993 और समय-समय पर इसमें किए गए संशोधनों तथा ऊपर उल्लिखित उद्देश्यों के लिए सभी अन्य कानूनी/सांविधिक सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
4. मैं/हम गैर-पीडीएस एसकेओ की आपूर्ति/बिक्री केवल कानूनी उपयोग के लिए ही करेंगे।
5. उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए सभी लागू कानूनों तथा निर्धारित नियमों के प्रति प्रतिबद्ध हैं और किसी भी रूप में हम इनका उल्लंघन नहीं करेंगे।
6. मैं/हम अंतिम ग्राहकों को आपूर्ति किए गए उत्पाद की गुणवत्ता एवं मात्रा के लिए जिम्मेदारी लेते हैं क्योंकि आपूर्ति एक्स-एमआई आधार पर हुई है।
7. उपर्युक्त उद्देश्य के लिए निर्धारित कानून/सांविधिक नियमों/दिशा-निदेशों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में मात्र मैं/हम जिम्मेदार होंगे और उसके किसी प्रभाव से हम आईओसीएल/एचपीसीएल/बीपीसीएल को क्षतिपूर्ति करेंगे।
8. यदि हमारे किसी गैर कानूनी व्यवहार से आईओसीएल/एचपीसीएल/बीपीसीएल से कोई किसी तरह की मांग करता है तो हम संपूर्ण मांग को अपने ऊपर ले लेंगे तथा आगे से इसे निपटाएंगे एवं ऐसी मांग तथा उसके किसी भी परिणाम से आईओसीएल/एचपीसीएल/बीपीसीएल को पूरी तरह से मुक्त रखेंगे।

दिनांक :

स्थान:

(हस्ताक्षर एवं मुहर / सील)

गैर-पीडीएस (सफेद) एसकेओ की खरीदी के लिए केवायसी फार्म - औद्योगिक ग्राहक

प्राप्तकर्ता के स्वयं सत्यापित फोटो लगाए (पासपोर्ट आकार)
(गैर-सरकारी/पीएसयू एवं गैर सूचीबद्ध कम्पनियों के लिए)



1. आवेदक की स्थिति सरकारी/पीएसयू/प्राइवेट/जेव्ही/ईओयू/एसएसआई/अन्य (निशान लगाएं)

2. फर्म का नाम एवं पंजीकृत कार्यालय :

3. प्रमोटर्स /निदेशकों/भागीदारों/सोल प्रोप्राइटर के नाम एवं पता :

4. प्लॉट / यूनिट का लोकेशन :

प्राप्तकर्ता/ प्लॉट प्रबंधक का नाम

बी. पता (कार्यालय एवं आवास)

सी. फोन नंबर (कार्यालय एवं आवास)

डी. ई-मेल आईडी (अधिकारिक)

ई. पैन नंबर

एफ. सरकारी एजेंसी द्वारा दिया गया पहचान प्रमाण

जी. पते का प्रमाण

5. उद्योग का प्रकार :

6. निर्माण गतिविधि :

7. उद्देश्य (अंतिम उपयोग) जिसके लिए एसकेओ की जरूरत है :

8. भंडारण एवं गैर पीडीएस एसकेओ के निष्पादन के लिए ढांचों का विवरण एवं उनकी स्वीकृति तथा लाइसेंस

9. बिक्री कर (वैट/सीएसटी)/केंद्रीय उत्पाद शुल्क पंजीकरण का विवरण :

10. प्रति माह आवश्यक अनुमानित मात्रा (किलो.) :

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि उपर दिए गए विवरण मैं/हमारे सर्वश्रेष्ठ जानकारी एवं विश्वास के अनुरूप सत्य है।

दिनांक :

स्थान:

_____ (हस्ताक्षर एवं मुहर / सील)

(* कृपया, मद 1/2/3/4 (ए,बी,ई,एफ,जी)/8/9 के संबंध में यथा लागू स्वयं सत्यापित प्रतियां संलग्न करें।)

क्षतिपूरक बॉड

(नोटरी पब्लिक द्वारा नोटरी किए हुए रु. 100/- के गैर न्यायिक स्टैप पेपर पर प्रस्तुत किया जाए।)

मैंने/हम अपने निजी उपयोग के लिए गैर- पीडीएस एस्केओ को जारी करने के लिए _____, _____
आईओसीएल/एचपीसीएल/बीपीसीएल से संपर्क किया है।

मैं/हम पुष्टि करते हैं कि :

1. दिनांक _____ के केवायसी फार्म में आईओसीएल/एचपीसीएल/बीपीसीएल को दिया गया विवरण सत्य एवं सही है।
2. हमारा प्लॉट दिनांक _____ के केवायसी फार्म में उल्लिखित लोकेशन पर स्थित है और परिचालन की स्थिति में है।
3. मैं/हम एस्केओ आदेश, 1993 और समय-समय पर इसमें किए गए संशोधनों तथा ऊपर उल्लिखित उद्देश्यों के लिए सभी अन्य कानूनी/सांविधिक सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
4. आईओसीएल/एचपीसीएल/बीपीसीएल से खरीदे गए गैर- पीडीएस एस्केओ का उपयोग हम उचित अंतिम उपयोग के लिए करेंगे और हम इसकी पुनर्विक्री नहीं करेंगे।
5. उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए सभी लागू कानूनों तथा निर्धारित नियमों के प्रति प्रतिबद्ध हैं और किसी भी रूप में हम इनका उल्लंघन नहीं करेंगे।
6. मैं/हम अंतिम ग्राहकों को आपूर्ति किए गए उत्पाद की गुणवत्ता एवं मात्रा के लिए जिम्मेदारी लेते हैं क्योंकि आपूर्ति एक्स-एमआई आधार पर हुई है।
7. उपर्युक्त उद्देश्य के लिए निर्धारित कानून/सांविधिक नियमों / दिशा-निर्देशों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में मात्र मैं/हम जिम्मेदार होंगे और उसके किसी प्रभाव से हम आईओसीएल/एचपीसीएल/बीपीसीएल को क्षतिपूर्ति करेंगे।
8. यदि हमारे किसी गैर कानूनी व्यवहार से आईओसीएल/एचपीसीएल/बीपीसीएल से कोई किसी तरह की मांग करता है तो हम संपूर्ण मांग को अपने ऊपर ले लेंगे तथा आगे से इसे निपटाएंगे एवं ऐसी मांग तथा उसके किसी भी परिणाम से आईओसीएल/एचपीसीएल/बीपीसीएल को पूरी तरह से मुक्त रखेंगे।

दिनांक :

स्थान:

_____ (हस्ताक्षर एवं मुहर / सील)